(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 620–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–3–2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इंदौर, अनुभाग वृत्त कमांक 1 राऊ, इंदौर प्रकरण कमांक 16/2012–13/अपील.

.....

श्रीमती इन्दूबाला पति प्रेमचन्द जैन,
निवासी 575/4, एम.जी.रोड इंदौर

..... आवेदिका

विरूद्ध

श्रीमती प्रफुल्लता पति भरत कुमार जैन,
निवासी 9/2 श्रीनाथ निकेतन, फलेट नं.305,
तीसरा माला, स्नेहलतागंज, इंदौर

..... अनावेदिका

.....

श्री पी0जी0पाठक, अभिभाषक–आवेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 5/7/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इंदौर, अनुभाग वृत्त कमांक 1 राऊ, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–03–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार इंदौर के आदेश दिनांक 2–7–09 कि विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 15–2–2010 को लगभग 6 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–3–15 को अंतरिम आदेश पारित कर

विलम्ब क्षमा किया जाकर प्रकरण गुणदोष पर नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्को में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदिका के अधिवक्ता रफीक खान पेशियों पर उपस्थित होते रहे हैं और उनके समक्ष ही प्रकरण में दिनांक 2–7–09 को आदेश हेतु नियत किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि अनावेदिका को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी प्रांरभ से ही रही है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(2) अनावेदिका के मन में लालच एवं दुर्भावना आ जाने की सोच के कारण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है क्योंकि प्रश्नाधीन भूमियों की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुई है, इस कारण भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में त्रुटि की गई है ।

(3) अनावेदिका द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण दर्शाना चाहिये था, जो कि नहीं दर्शाया गया है ।

तर्क के समर्थन में 1999 आरएन 351 एवं 1992 आरएन 289 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ प्रकरण में अनावेदिका के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 2–7–09 को अनावेदिका द्वारा नोट नहीं किया गया है । इस प्रकार तहसील न्यायालय के आदेश की सूचना अनावेदिका को नहीं रही है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश को देखने से प्रथमदृष्टया ही स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर नहीं कर केवल आपत्ति के

आधार पर किया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकरण में यह यथोपरि होगा कि प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जाये । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इंदौर, अनुभाग वृत्त कमांक 1 राऊ, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–03–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर